305

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ...../...../.....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

R 404-17

पक्षकार - श्री नोखेलाल आर्मो पिता स्व.श्री जेठूलाल आर्मो(गौंड़)
निवासी ग्राम हंसापुर पोस्ट पड़रिया थाना च तहसील कुण्डम जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. मोहम्मद जुबैर पिता मोहम्मद सुहेल
निवासी मकान नं. 630, 1827,ढलगर मोहल्ला,
घोड़ा नक्काश मौलाना आजाद वार्ड,
तहसील व जिला जबलपुर ।

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **08**/अ-21/2016-17 में पारित **आदेश** दि. 23.01.2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री नोखेलाल आर्मो पिता स्व.श्री जेठूलाल आर्मो(गौंड़) निवासी ग्राम हंसापुर पोस्ट पड़रिया थाना च तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **जमुनिया** प.ह.नं. 53 नया 81 रा.नि.मं.खम्हरिया तहसील च जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 410/2 रकवा 0.27 हेक्टेयर भूमि अनावेदक गैर आदिवासी मोहम्मद जुबैर पिता मोहम्मद सुहेल निवासी मकान नं. 630, 1827, ढलगर मोहल्ला, घोड़ा नक्काश मौलाना आजाद वार्ड जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 29/09/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. प्रकरण दिनांक 26.11.2016 को ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने पर पेशी 27.02.2017 नियत कर दी गई।
4. प्रकरण में आवेदक नोखेलाल आर्मो एवं अनावेदक मोहम्मद जुबैर द्वारा स्वयं कलेक्टर जबलपुर के समक्ष में उपस्थित होकर दि. 23.01.2017 को आज ही तर्क प्रस्तुत करने शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर कलेक्टर जबलपुर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र कोई समाधानकारक प्रमाण/तर्क दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, साथ ही शीघ्र सुनवाई हेतु कोई आधार प्रतीत नहीं होने से शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.01.2017 खारिज किया गया। जबकि आवेदक द्वारा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0405एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम जमुनिया प.ह.नं. पुराना 50 नया 81 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 410/2 रकबा 0.270 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक - 2 को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण दिनांक 28-11-16 को 27-2-17 के लिये नियत किया गया है । ावेदक द्वारा दिनांक 23-1-17 को शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किये जाने पर कलेक्टर ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जानबूझकर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है । यदि आवेदक को अनुमति नहीं दी गई तो हो सकता है अनावेदक द्वारा भूमि का सौदा निरस्त कर दिया जाये, जिसके कारण	

नि.प्र. – 404 I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक को आर्थिक क्षति होगी और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवेदक को अपनी भूमि कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो शासन द्वारा आदिम जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए बने कानूनों की मंशा के विपरीत होगा । आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा क्रय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है । उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि आवेदक के पास विक्रय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त लगभग 2.99 हैक्टर सिंचित भूमि कुण्डम तहसील में शेष बच रही है जो आवेदक के जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम जमुनिया प.ह.नं. पुराना 50 नया 81 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 410/2 रकबा 0.270 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक –2 को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 404-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	